छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्थापना–1/2023/ 785A रायपुर, दिनांक 20/09/2023

निविदा प्रपत्र में संशोधन सूचना

निगम द्वारा निविदा सूचना क्रमांक 700/A दिनांक 28.08.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों में लेखाकार्य सम्पादन हेतु लेखाकार्य में दक्ष 28 लेखाकर्मी की सेवाएँ मानव संसाधन के रूप में 01 (एक) वर्ष के लिए प्लेसमेंट एजेंसी (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से लिए जाने हेतु दिनांक 29.09.2023 को निविदा आमंत्रित किया गया है।

उक्त निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्ते के में संशोधन किया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है:–

सरल क्र.	कंडिका क्र.	पूर्व में जारी निविदा	जारी निविदा में संशोधन किया गया
1	निविदा की नियम व शर्ते की मुख्य कंडिका 4 में बिदु क्र. 7 पर	लेखापाल की अनुमानित मानदेय एकमुश्त (प्रतिमाह/ प्रतिव्यक्ति) 26490.00 देय।	संशोधित करते हुए लेखापाल की अनुमानित मानदेय एकमुश्त (प्रतिमाह/ प्रतिव्यक्ति) 20900.00 देय।
2	निविदा की नियम व शर्ते की मुख्य कंडिका 13 पर	निविदाकार को, शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह मानदेय/संविदा वेतन (लेखापाल) हेतु राशि रू. 26490.00 प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही परिशिष्ट–1 में निविदा दरें भरी जायेगी।	निविदाकार को, शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह मानदेय/संविदा वेतन (लेखापाल) हेतु राशि रू. 20900.00 प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही परिशिष्ट–1 में निविदा दरें भरी जायेगी।
3	निविदा की नियम व शर्ते में अन्य शर्ते की कंडिका 8 पर	अन्य शर्ते की कंडिका 8 में उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों को एक वर्ष में कुल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेंगी, किन्तु एक बार में निरंतर तीन दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने पर अवैतनिक किया जावेगा। उक्त अवकाश दिवस की पात्रता शासन के निर्देशानुसार बदलाव किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक महोदय के अधिकार में होगा।	उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों को एक वर्ष में कुल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेंगी, किन्तु एक बार में निरंतर तीन दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने पर अवैतनिक किया जावेगा।
4	निविदा की नियम व शर्ते में अन्य शर्ते की कंडिका 12 पर	अन्य शर्ते की कंडिका 12 – मानदेय/वेतन की दरों शासन द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार दर प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति उपरांत संशोधित की जा सकेगी, इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार निगम का होगा।	उक्त कंडिका को विलोपित किया गया है।
5	परिशिष्ट 1 की कंडिका 1 पर	लेखापाल का शुद्ध मासिक देय राशि 26490.00	लेखापाल का शुद्ध मासिक देय राशि 20900.00

टीप :– शेष निविदा की नियम एवं शर्ते निविदा सूचना क्रमांक 700/A दिनांक 28.08.2023 के अनुसार यथावत रहेगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन संचालक(वित्त)